अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी : श्री उगमसिह राजपुरोहित आर0ए0एस0
प्रशासन गांव के संग अभियान –2023 केम्प खांसौली

1. भागीरथ दत्तक पुत्र जेसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा तह. व जिला चूरू
2. सीताराम पुत्र देबुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा तह. व जिला चूरू
3. गुमानीराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा तह. व जिला चूरू

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नं. ~~580~~ / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वादीगण द्वारा प्रशासन गांव के संग –2023 केम्प खांसौली में पेश होकर रोही ग्राम रामसरा में स्थित कृषि भूमि का पारिवारिक समझौता के अनुसार कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अलग–2 खाता व लगान कायम करवाने हेतु दावा मय दस्तावेज जमाबन्दी की प्रतियां के प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार चूरू से रिपोर्ट ली गयी । तहसीलदार चूरू द्वारा पटवारी प.म. खांसौली व भू–अभिलेख निरीक्षक रतननगर से रिपोर्ट ली जाकर अपनी अभिशंषा सहित टिप्पणी प्रस्तुत की गयी। दावा वादीगण पर बहस सुनी गयी। वादीगण द्वारा कथन किया गया कि उनकी रोही ग्राम रामसरा में स्थित कृषि भूमि को मौके पर बराबर –2 विभाजन कर भू–प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व उनके परिवारजन व वादीगण का मौके पर कब्जा व काश्त रहा है परन्तु भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान उनकी कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में कम–ज्यादा दर्ज कर दिया गया तथा पारिवारिक समझौता अनुसार कब्जा काश्त में उनकी कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार चूरू द्वारा पटवारी व भू–अभिलेख की रिपोर्ट के आधार वादीगण के पारिवारिक समझौता अनुसार बराबर –2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की अभिशंषा की गयी है। वादीगण के बयान लिये गये। वादीगण द्वारा बयानों में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनके द्वारा संलग्न नजरी नक्शा व मौके पर किये गये विभाजन अनुसार अपनी–2 कृषि भूमि को बराबर –2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने में सहमत हैं। प्राप्त पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं तहसीलदार चूरू की अभिशंषा, जिसमें पक्षकारों ने अपनी सहमति दी है। किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः लोक अदालत की भावना के मद्देनजर पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवो के संग–2023

जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 140 तादादी 1.0370, 371 तादादी 4.6159, 377 तादादी 0.0632, 541/133 तादादी 3.2881, 1061/132 तादादी 3.1489, 372 तादादी 0.7588, 376 तादादी 3.1489, 151 तादादी 4.7803, 572/141 तादादी 3.5636 कुल किता 9 तादादी 24.3947 का खाता विभाजन मौके पर वादीगण के कब्जा काश्त और संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाकर निम्नानुसार अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	वि.वि.
1.	भागीरथ दत्तक पुत्र जेसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा खातेदार	541/133 371 377 372 मि. किता–4	3.2881 4.6159 0.0632 0.1644 8.1316	बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी	
2.	सीताराम पुत्र देबुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा खातेदार	151 140 372मि. 376 मि. 572/141 मि. ——— किता 2	4.7803 1.0370 0.5944 1.2141 0.5058 ——— 8.1316	बारानी वारानी बारानी बारानी बारानी	
3	गुमानीराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामसरा खातेदार	1061/132 376 मि. 572/141 मि. ——— किता 2	3.1489 1.9348 3.0478 ——— 8.1315	बारानी वारानी बारानी	

तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो बाद जांच निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के खाते व लगान पृथक्–पृथक् कायम करें। किसी पक्षकार के बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17.05.2023 को प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 केम्प खांसौली के मजमे आम में जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:55:50 IST
Reason: SelfAttested

(उगमसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, चूरू